

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकारसेपकाशित

PUBLISHEDBYAUTHORITY

सं. 2633]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर, 26, 2014/पौष 5, 1936

No. 26331

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2014/PAUSHA 5, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014

का. आ. 3270(अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क के उपनियम (1) के अनुसरण में, उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों को करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वोत्तर जोन, शिलांग में क्षेत्रीय सशक्त समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथा क्षेत्रीय सशक्त समिति कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(i) अध्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वोत्तर जोन, शिलांग

- अध्यक्ष
- (ii) मुख्य वनपाल या वनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वोत्तर जोन, शिलांग सदस्य की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी
- (iii) श्री फेसमसेकोंग, ग्राम टिप्पी, पी.ओ. भालुकपोंग, जिला—पश्चिमी कामेंग—790114 अरुणाचल प्रदेश (ई मेल -fesomsekong@gmail.com)

अशासकीय-सदस्य

(iv) श्री यमबोस मर्रे, म. सं. 252, ग्राम सिगनल अनगामी, जिला—दीमापुर—797112 नागालैण्ड (ई मेल – yambos@outlook.com)

अशासकीय-सदस्य

(v) डा. परिमल चन्द्र भट्टाचारजी, ए/3, आशियाना हाउसिंग, मालेगांव, गुवाहाटी—781011 असम (ई मेल – bhattapc@gmail.com) अशासकीय-सदस्य

- (vi) उपवनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वोत्तर जोन, शिलांग की पंक्ति के सदस्य-सचिव अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी
- 2. इसके नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों के नीचे उल्लिखित अधिकारी उनके अपने अपने राज्यों में वन भूमि के अपयोजन से संबद्ध प्रस्तावों के परीक्षण के लिए क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) अरुणाचलप्रदेश:

- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, अरुणाचल प्रदेश सरकार;
- (ii) निदेशक, भूमि प्रबंधन, अरुणाचल प्रदेश सरकार;
- (ख) असमः
- (i) संयुक्त सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, असम सरकार;
- (ii) संयुक्त सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, असम सरकार;
- (ग) मणिपुरः
- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, मणिपुर सरकार;
- (ii) प्रचिव, राजस्व विभाग, मणिपुर सरकार;
- (घ) मेघालय:
- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, मेघालय सरकार;
- (ii) संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, मेघालय सरकार;

- (ड.) मिजोरम:
- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, मिजोरम सरकार;
- (ii) **संयुक्त सचिव, भूराजस्व-और निपटान विभाग, मिजोरम सरकार**;
- (च) नागालैण्डः
- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, नागालैण्ड सरकार;
- (ii) सचिव, भूमि राजस्व विभाग, नागालैण्ड सरकार;
- (छ) सिकिकमः
- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, सिक्किम सरकार;
- (ii) अतिरिक्त सचिव, भू-राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार,
- (ज) त्रिपुरा:
- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, त्रिपुरा सरकार;
- (ii) अतिरिक्त सचिव, राजस्य विभाग, त्रिपुरा सरकार

Malegaon, Guwahati-781011, Assam (E-mail: bhattapc@gmail.com)

3. अशासकीय सदस्यों के नियुक्ति की निबंधनें और शर्तें उक्त नियम के नियम 4में यथाविनिर्दिष्ट होगी ।

> [फा. सं. 6-20/2014-आरओएचक्यू] डा. एस. एस. नेगी, अति. वन महानिदेशक (एफ सी)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(Regional Offices Headquarters Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2014

S.O. 3270 (E).—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4A of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government hereby constitutes the Regional Empowered Committee at Regional Office, North Eastern Zone, Shillong (hereinafter referred to as the Regional Empowered Committee) to exercise the powers and perform the functions specified therein, comprising of the following Members, namely:—

(i)	Head of the Regional Office, North Eastern Zone Shillong	Chairperson
(ii)	Senior most officer from amongst officers in the rank of Chief Conservator of Forests or Conservator of Forests in the Regional Office, North Eastern	Member
	Zone, Shillong	
(iii)	ShriFesomSekong, Village Tippi, P.O. Bhalukpong,	Non-official Member
	District-West Kameng-790114, Arunachal Pradesh	
(iv)	(E-mail:fesomsekong@gmail.com) ShriYambos Murray,	Non-official Member
	H.No. 252, Village- Signal Angami,	Non-official Memoci
	District Dimapur-797112, Nagaland	
	(E-mail: yambos@outlook.com)	
(v)	Dr. Parimal Chandra Bhattacharjee, A/3, Ashiyana Housing,	Non-official Member

(vi) Senior most officer from amongst officers in the rank of Deputy Conservator of Forests in the Regional Office, North Eastern Zone, Shillong Member-Secretary

2. The officers mentioned below of the States specified hereunder, shall be invited to attend meetings of the Regional Empowered Committee as special invitees, in the examination of the proposals pertaining to diversion of forest land in their respective States, namely:—

(A) 'Arunachal Pradesh;

- (i) Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Arunachal Pradesh;
- (ii) Director, Land Management, Government of Arunachal Pradesh.

(B) Assam:

- (i) Joint Secretary to the Government of Assam, Environment and Forest Department;
- (ii) Joint Secretary to Government of Assam, Revenue and Disaster Management Department.

(C) Manipur:

- (i) Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Manipur;
- (ii) Secretary to the Government of Manipur, Revenue Department.

(D) Meghalaya:

- (i) Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Meghalaya;
- (ii) Joint Secretary to the Government of Meghalaya, Revenue Department.

(E) Mizoram:

- (i) Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Mizoram;
- (ii) Joint Secretary to the Government of Mizoram, Land Revenue and Settlement Department.

(F) Nagaland:

- (i) Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Nagaland;
- (ii) Secretary to the Government of Nagaland, Land Revenue Department.

(G) Sikkim:

- (i) Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Sikkim;
- (ii) Additional Secretary to the Government of Sikkim, Land Revenue and Disaster Management Department.

(H) Tripura:

- (i) Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Tripura;
- (ii) Additional Secretary to the Government of Tripura, Revenue Department.
- 3. The terms and conditions of appointment of non-official members shall be as specified in rule 4 of the said rules.

[F. No. 6-20/2014- RoHQ]

Dr. S.S. NEGI, Addl. Director General of Forests (FC)